मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खंड XXI अंक 11 फरवरी 2026

एमसीआईआर

विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1-4
II. केंद्रीय बोर्ड की 621वीं बैठक	2
III. विनियमन	4
IV. प्रकाशन	4
V. जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

फरवरी 2026 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में अपनी मौद्रिक नीति का रुख स्थिर बनाए रखा, और रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा; यह भारत की सुदृढ़ आर्थिक संवृद्धि और अनुकूल मुद्रास्फीति के रुझान में बैंक के विश्वास को दर्शाता है। केंद्रीय बोर्ड ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य का आकलन किया, जिसमें भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और वित्तीय बाज़ार में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को भी ध्यान में रखा गया।

हम सही जानकारी साझा करने और गहरी समझ बढ़ाने के अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर या क्यूआर कोड स्कैन करके भी देखा जा सकता है। हम mcir@rbi.org.in पर आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं।

ब्रिज राज
संपादक

I. मौद्रिक नीति

6 फरवरी 2026 को गवर्नर का मौद्रिक नीति वक्तव्य

गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने 6 फरवरी 2026 को मौद्रिक नीति वक्तव्य की घोषणा की। बढ़ी हुई भू-राजनीतिक तनाव और उच्च अनिश्चितता के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत संवृद्धि और निम्न मुद्रास्फीति के कारण एक अच्छी स्थिति में है। मुद्रास्फीति सहन-सीमा बैंड से नीचे बनी हुई है और इससे संबंधित संभावना सौम्य बनी हुई है। उच्च आवृत्ति संकेतक 2025-26 की तीसरी तिमाही और उसके बाद मजबूत संवृद्धि की गति के जारी रहने का संकेत देते हैं, जिसे यूरोपियन संघ के साथ हुए ऐतिहासिक व्यापार संबंधी डील और यूएस के साथ होने वाले व्यापार करार से भी मदद मिलेगी।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), जिसकी बैठक 4, 5 और 6 फरवरी को हुई थी, ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर यथावत् रखने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.00 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.50 प्रतिशत पर बनी हुई है। एमपीसी ने तटस्थ रुख को जारी रखने का भी निर्णय लिया, यह देखते हुए कि बाहरी चुनौतियों के बढ़ने के बावजूद, निकट-अवधि में घरेलू मुद्रास्फीति और संवृद्धि की संभावना सकारात्मक बनी हुई है।

हेडलाइन मुद्रास्फीति, सहन-सीमा बैंड से नीचे बनी रही और 2026-27 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति की संशोधित संभावना क्रमशः 4.0 प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत है, जोकि सौम्य और मुद्रास्फीति लक्ष्य के पास बनी हुई है। कीमती धातुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को छोड़कर, मूल मुद्रास्फीति दर कम बनी हुई है। 2025-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 2.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें जोखिम संतुलित हैं; हालाँकि, भू-राजनीतिक अनिश्चितता और ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव से महंगाई बढ़ने का जोखिम बना हुआ है।

संवृद्धि के स्तर पर, भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर होती जा रही है, और 2025-26 में वास्तविक जीडीपी में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। निजी उपभोग, स्थिर निवेश, सुदृढ़ सेवा क्षेत्र, विनिर्माण में तेज़ी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर मांग, कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन, अवसंरचना पर ज़ोर और व्यापार करार से 2026-27 में भी यह गति बनी रहने की उम्मीद है। 2026-27 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि दर क्रमशः 6.9 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत का बाहरी क्षेत्र मज़बूत बना हुआ है। माल निर्यात में मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि सेवाओं का निर्यात और विप्रेषण मज़बूत बने हुए हैं। 30 जनवरी 2026 तक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि 723.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो आयात के लिए मज़बूत सुरक्षा प्रदान करता है। बैंकिंग प्रणाली मज़बूत बनी हुई है, जिसमें पूंजी की पर्याप्तता, परिसंपत्ति की बेहतर गुणवत्ता, ऋण में स्वस्थ वृद्धि और रिज़र्व बैंक द्वारा सक्रिय चलनिधि प्रबंधन शामिल है।

रिज़र्व बैंक ने ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने, वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने, एमएसएमई को बिना किसी गारंटी के दिए जाने वाले ऋणों में वृद्धि करने, यूसीबी को सुदृढ़ करने, एनबीएफ़सी के लिए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने और वित्तीय बाजारों को और अधिक गहन बनाने के लिए अतिरिक्त उपायों की भी घोषणा की। अपने वक्तव्य के अंत में, गवर्नर ने इस बात को पुनः दोहराया कि अनुकूल मुद्रास्फीति की स्थिति, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते हुए और संवृद्धि की गति को निरंतर जारी रखते हुए, संवृद्धि-सहायक बने रहने का अवसर प्रदान करती है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) विनियमन; (ii) भुगतान प्रणाली; (iii) वित्तीय समावेशन; (iv) वित्तीय बाजार; और (V) क्षमता निर्माण से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है।

I. विनियमन

1. विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का विज्ञापन, विपणन और बिक्री

किसी भी विनियमित संस्था द्वारा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का गलत बिक्री करना ग्राहकों तथा स्वयं संस्था दोनों के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। यह आवश्यक है कि बैंक काउंटरों पर बेची जा रही अन्य पक्षकार के उत्पाद एवं सेवाएँ, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप हों तथा व्यक्तिगत ग्राहकों की जोखिम सहनशीलता के अनुपात में हों। अतः विनियमित संस्थाओं को वित्तीय उत्पाद एवं सेवाओं के विज्ञापन, विपणन और बिक्री संबंधी व्यापक निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में निर्देशों का मसौदा शीघ्र ही सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाएगा।

2. ऋण वसूली एवं वसूली एजेंटों की नियुक्ति में विनियमित संस्थाओं का आचरण

वर्तमान में, वसूली एजेंटों की नियुक्ति के संबंध में तथा ऋण वसूली के पहलुओं से संबंधित आचरण के मामले में, विनियमित संस्थाओं (आरई) के विभिन्न श्रेणियों के लिए भिन्न-भिन्न निर्देश लागू हैं।

II. भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 621वीं बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 621वीं बैठक आज नई दिल्ली में श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बोर्ड ने भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और वित्तीय बाजार की अस्थिरता से उत्पन्न चुनौतियों सहित वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति की समीक्षा की।

श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री ने बोर्ड की बैठक के बाद केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों को संबोधित किया और उनसे बातचीत की। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने, तीन कर्त्तव्यों से प्रेरित, केंद्रीय बजट 2026-27 के कार्यनीतिक विज़न को सुस्पष्ट किया, तथा विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वित्तीय क्षेत्र से अपेक्षाओं को रेखांकित किया। निदेशकों ने बजट के लिए वित्त मंत्री की सराहना की तथा अपने विचार साझा किए।

केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ श्री पंकज चौधरी, माननीय वित्त राज्य मंत्री, डॉ. अरुणिश चावला, सचिव, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, श्री वी. वुआलनम, सचिव, व्यय विभाग, श्री अरविंद श्रीवास्तव, सचिव, राजस्व विभाग और डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार भी थे।

उप गवर्नर श्री टी. रबी शंकर, श्री स्वामीनाथन जे, डॉ. पूनम गुप्ता, श्री शिरीष चंद्र मुर्मू और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक – श्री नागराजू मद्दिराला, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, सुश्री अनुराधा ठाकुर, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, श्री सतीश के. मराठे, श्री एस. गुरुमूर्ति, श्रीमती रेवती अय्यर, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, श्री वेणु श्रीनिवासन, श्री पंकज रमनभाई पटेल और डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया बैठक में शामिल हुए।

अब यह निर्णय लिया गया है कि वसूली एजेंटों की नियुक्ति तथा ऋण वसूली से संबंधित अन्य पहलुओं पर वर्तमान आचरण संबंधी सभी निर्देशों की समीक्षा एवं समन्वय किया जाए। तदनुसार, इस संबंध में शीघ्र ही मसौदा निर्देश सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए जाएंगे।

3. डिजिटल लेनदेन में ग्राहक दायित्व सीमा के ढांचे की समीक्षा

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों के देयताओं को सीमित करने से संबंधित वर्तमान निर्देश 2017 में जारी किए गए थे, जो ग्राहक के शून्य / सीमित देयताओं के परिदृश्यों और समय-सीमा से संबंधित हैं। इन निर्देशों के जारी होने के बाद से, बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और भुगतान प्रणालियों को तेज़ी से अपनाने के मद्देनजर, मौजूदा निर्देशों की समीक्षा की गई है। तदनुसार, छोटे मूल्य के धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन की स्थिति में प्रतिपूर्ति के लिए एक ढांचे सहित, संशोधित निर्देशों का मसौदा शीघ्र ही सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाएगा।

4. बैंकों द्वारा स्थावर संपदा न्यास (आरईआईटी) को ऋण प्रदान करना

भारत में स्थावर संपदा न्यास (आरईआईटी) तथा अवसंरचना परियोजनाओं न्यास (आईएनवीआईटी) की अवधारणा इस उद्देश्य से की गई थी कि पूर्ण एवं परिचालनात्मक स्थावर संपदा एवं अवसंरचना परियोजनाओं में बैंकों की निधि को मुक्त किया जा सके, जिसके लिए संस्थागत एवं खुदरा निवेशकों की समूहित निधियों के माध्यम से ऐसे जोखिमों का पुनर्वित्तपोषण किया जाए। इन उद्देश्यों के अनुरूप, आरंभ से ही वाणिज्यिक बैंकों को इन संस्थाओं को ऋण देने की अनुमति नहीं थी। हालांकि बाद में बैंकों द्वारा आईएनवीआईटी को ऋण देने की अनुमति दी गई, लेकिन अब तक आरईआईटी को ऋण देने की अनुमति नहीं थी। समीक्षा के पश्चात् एवं सूचीबद्ध आरईआईटी के लिए मजबूत विनियामक एवं अभिशासन ढांचे के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तावित है कि वाणिज्यिक बैंकों को उचित विवेकपूर्ण सुरक्षा के अधीन आरईआईटी को वित्त प्रदान करने की अनुमति दी जाए। आईएनवीआईटी को ऋण देने संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों को भी आरईआईटी को ऋण देने के लिए प्रस्तावित विवेकपूर्ण सुरक्षाओं के साथ समानता स्थापित करने के लिए समायोजित किया जा रहा है। इस संबंध में शीघ्र ही निदेशों का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाएगा।

5. यूसीबी के लिए उधार मानदंडों की समीक्षा

हाल के वर्षों में, यूसीबी के उधार परिचालन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से कई विनियामक उपाय किए गए हैं। अब यह प्रस्तावित है कि यूसीबी द्वारा गैर- जमानती ऋणों; नाममात्र सदस्यों को उधार देने की समय-सीमा; तथा आवास ऋणों के लिए अवधि एवं ऋण स्थगन आवश्यकताओं पर लागू वर्तमान विनियामक मानदंडों का तर्कसंगत ढंग से समीक्षा की जाए। प्रस्तावित समीक्षा में, अन्य बातों के साथ-साथ, पिछले कुछ वर्षों में यूसीबी के कुल ऋण एवं अग्रिमों में हुए वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, विवेकपूर्ण अनुशासन बनाए रखते हुए स्तरीकृत एवं सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इस संबंध में शीघ्र ही निदेशों का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाएगा।

6. सार्वजनिक निधि का उपयोग न करने वाले और ग्राहक संपर्क न रखने वाले पात्र एनबीएफसी ('टाइप I एनबीएफसी' सहित) के लिए पंजीकरण से छूट

एनबीएफसी के लिए पैमाने-आधारित विनियामक ढांचा, उन एनबीएफसी के लिए भिन्न विनियामक व्यवहार की परिकल्पना करता है जो सार्वजनिक निधि का उपयोग नहीं करते और कोई ग्राहक संपर्क नहीं रखते है। उनकी विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इन एनबीएफसी पर वर्तमान में लागू विनियमों की समीक्षा की गई है। उनके तुलनात्मक रूप से बहुत कम प्रणालीगत जोखिम प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तावित है कि ऐसी टाइप-I एनबीएफसी, जिनकी संपत्ति का आकार ₹1,000 करोड़ से अधिक न हो, को कतिपय निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकरण की आवश्यकता से छूट दी जा सकती है। प्रस्तावित छूट इन एनबीएफसी के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को कम करेगी। तदनुसार, हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही संशोधन निदेशों का मसौदा जारी किया जाएगा।

7. एनबीएफसी शाखा प्राधिकरण निदेश -2025 में संशोधन

वर्तमान विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार, स्वर्ण संपार्श्विक के एवज में उधार देने के व्यवसाय में कार्यरत एनबीएफसी-निवेश एवं ऋण कंपनियाँ (आईसीसी) जिनकी 1,000 से अधिक शाखाएँ हैं, नई शाखाएँ खोलने के लिए आरबीआई की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए बाध्य हैं। एनबीएफसी-आईसीसी पर लागू व्यापक विवेकपूर्ण एवं अभिशासन ढांचे को ध्यान में रखते हुए, ऐसी एनबीएफसी द्वारा शाखाएँ खोलने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में हितधारकों से टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही निर्देशों का मसौदा जारी किया जाएगा।

II. भुगतान प्रणाली

8. "डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की खोज" पर चर्चा पत्र

पिछले दशक में, भारत में डिजिटल भुगतान अभूतपूर्व गति से विस्तारित हुए हैं, जो व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा वित्तीय लेनदेन करने के तरीके में संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाते हैं। हालांकि, इसके साथ ही निर्दोष ग्राहकों को निशाना बनाने वाली धोखाधड़ी की गतिविधियों में बढ़ती परिष्कृतता भी देखी गई है। सुरक्षित और संरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य के अनुरूप, डिजिटल भुगतान में समन्वित सुरक्षा उपायों - जैसे विलंबित ऋण का परिचय, वरिष्ठ नागरिकों जैसे विशिष्ट उपयोगकर्ता वर्गों के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण आदि के परिचय की खोज करने हेतु एक चर्चा पत्र जारी करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित उपायों का उद्देश्य धोखाधड़ी को कम करना और ग्राहक सुरक्षा को मजबूत करना है।

III. वित्तीय समावेशन

9. अग्रणी बैंक योजना में संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) के वर्तमान दिशा-निर्देशों की विस्तृत समीक्षा की है। योजना के परिचालनगत पहलुओं को सुचारू बनाने के उद्देश्य से अब योजना पर निर्देशों का एक व्यापक समूह जारी करने का प्रस्ताव है। संशोधित योजना में, एलबीएस के उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक ढांचे को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने का प्रस्ताव है। संशोधित दिशा-निर्देशों से योजना की प्रभावशीलता में वृद्धि की उम्मीद है। शीघ्र ही सार्वजनिक परामर्श के लिए मसौदा परिपत्र जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक बैंक-वार एलबीएस डेटा की रिपोर्टिंग के लिए एक एकीकृत पोर्टल आरंभ करेगा, जो वर्तमान में विभिन्न पोर्टलों पर बंटा हुआ है। इससे डेटा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार होने तथा एलबीएस के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करने की आशा है।

10. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के दिशा-निर्देशों में संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्याप्ति का विस्तार, परिचालनगत पहलुओं को सुगम बनाने और उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से केसीसी योजना की व्यापक समीक्षा की है। अब बैंकों को इस योजना पर संशोधित निर्देश का एक समूह जारी करने का प्रस्ताव है, जिसमें कृषि एवं सहायक गतिविधियों से संबंधित निर्देशों का एकीकरण किया जाएगा। प्रस्तावित दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के अलावा, फसल ऋतु का मानकीकरण, केसीसी की अवधि को छह वर्ष तक बढ़ाना, प्रत्येक फसल ऋतु के लिए आहरण सीमा को वित्त के पैमाने (एसओएफ़) के साथ संरेखित करना तथा प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों पर व्यय को शामिल करना शामिल है। दिशा-निर्देशों का मसौदा शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

11. बैंकों द्वारा कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) के उपयोग से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा

कारोबार प्रतिनिधि, वित्तीय सेवाओं तक अंतिम मील तक पहुँच के महत्वपूर्ण सुविधाकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, विशेष रूप से अल्पसेवित, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के संबंध में। रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक, डीएफ़एस, आईबीए और नाबार्ड के अधिकारियों वाली एक समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य उनके परिचालन की व्यापक जांच करना और उनकी दक्षता में सुधार के लिए उपयुक्त सिफारिशें करना था। समिति की सिफारिशों के आधार पर, संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों की समीक्षा की जा रही है, और संशोधन दिशानिर्देशों का मसौदा शीघ्र ही सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए जाएँगे।

12. संपार्श्विक रहित ऋण सीमा में ₹10 लाख से ₹20 लाख तक की वृद्धि

औपचारिक ऋण तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने, उद्यमिता को समर्थन देने तथा सीमित संपार्श्विक वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए अंतिम चरण तक ऋण वितरण को मजबूत करने के उद्देश्य से, एमएसई के लिए संपार्श्विक रहित ऋण की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख करने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त प्रावधान एमएसई उधारकर्ताओं के लिए 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद स्वीकृत या नवीनीकृत सभी ऋणों पर लागू होंगे। इस संबंध में शीघ्र ही निर्देश जारी किए जाएंगे।

IV. वित्तीय बाज़ार

13. कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार का विकास

एक सक्रिय डेरिवेटिव्स बाजार, ऋण जोखिमों के कुशल प्रबंधन में सहायता कर सकता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में चलनिधि एवं दक्षता में सुधार कर सकता है तथा विभिन्न रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने में सुविधा प्रदान कर सकता है। 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट भाषण में घोषणा की गई थी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड पर कुल रिटर्न स्वैप तथा कॉर्पोरेट बॉन्ड सूचकांकों पर डेरिवेटिव्स की शुरुआत की जाएगी। तदनुसार, ऋण सूचकांकों पर डेरिवेटिव्स तथा कॉर्पोरेट बॉन्ड पर कुल रिटर्न स्वैप शुरू करने के लिए एक विनियामक ढांचा शीघ्र ही सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए जारी किया जाएगा।

14. प्राधिकृत व्यापारियों के विदेशी मुद्रा लेनदेन

फेमा , 1999 के तहत अधिकृत बैंकों और एकल प्राधिकृत व्यापारियों की पहुँच विदेशी मुद्रा बाजार में बाजार बनाने, तुलन-पत्र प्रबंधन तथा जोखिमों के बचाव के लिए होती हैं। घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर वर्तमान बाजार पद्धतियों एवं आवश्यकताओं के मद्देनजर, ऐसे प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) के लिए सुविधाओं को शासित करने वाले विनियामक ढांचे की समीक्षा की गई है और उसे युक्तिसंगत और परिष्कृत किया गया है। संशोधित ढांचा इन एडी को विदेशी मुद्रा उत्पादों, जोखिम प्रबंधन एवं प्लेटफॉर्मों के संबंध में अधिक लचीलापन प्रदान करता है। इस संबंध में शीघ्र ही मसौदा निदेश सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए जाएंगे।

15. ऋण प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग की समीक्षा

स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) को भारतीय ऋण बाजारों में दीर्घकालिक निवेश ब्याज वाले विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश के लिए एक अतिरिक्त चैनल प्रदान करने के उद्देश्य से मार्च 2019 में रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किया गया था। वर्षों से, बैंक ने परिचालनगत लचीलेपन और व्यवसाय करने में सुगमता में सुधार लाने के लिए इस मार्ग को पुनर्निर्धारित किया है। वीआरआर के तहत एफपीआई द्वारा सक्रिय निवेश हो रहा है, और ₹2.5 लाख करोड़ की वर्तमान निवेश सीमा का 80 प्रतिशत से अधिक उपयोग किया जा चुका है। वीआरआर के तहत निवेश सीमाओं की उपलब्धता के बारे में पूर्वानुमान सुनिश्चित करने और व्यवसाय करने में आगे सुगमता बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि (क) अब वीआरआर के तहत निवेश को सामान्य मार्ग के तहत एफपीआई निवेश सीमा के अंतर्गत गिना जाएगा; और (ख) वीआरआर के तहत निवेश करने वाले एफपीआई को कतिपय अतिरिक्त परिचालनगत लचीलेपन प्रदान किए जाएंगे। आवश्यक निदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

V. क्षमता निर्माण

16. मिशन सक्षम – यूसीबी क्षेत्र के लिए क्षमता निर्माण

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और बैंक रहित क्षेत्रों की सेवा करने के लिए महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं। उनके अगले चरण के विकास को सुनिश्चित करना उनमें मजबूत कौशल और योग्यताओं के साथ-साथ तकनीकी क्षमताओं और परिचालनात्मक आघात- सहनीयता के विकास पर निर्भर करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही मिशन सक्षम (सहकारी बैंक क्षमता निर्माण) — एक क्षेत्रव्यापी क्षमता निर्माण और प्रमाणन ढांचा शुरू करने जा रहा है। क्षेत्र के क्षमता निर्माण को बड़ी संख्या में भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ एक मापनीय ज्ञान अर्जित करने के मंच के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा, जो सभी कार्यक्रमों में लगभग 1.40 लाख प्रतिभागियों को शामिल करेगा। रिज़र्व बैंक इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सहभागी यूसीबी के निकट स्थित स्थानों पर आयोजित करने का प्रयास करेगा और जहाँ तक संभव हो, सामग्री की प्रस्तुति क्षेत्रीय भाषाओं में की जाएगी। यह मिशन यूसीबी के समावेशक (अंबरेला) संगठन और राष्ट्रीय/राज्य संघ के साथ साझेदारी में आगे बढ़ाया जाएगा।

एमपीसी का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति की 59वीं बैठक 4 से 6 फरवरी 2026 के दौरान आयोजित की गई।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएल के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक ने 20 फरवरी 2026 को, अर्थात् एमपीसी की बैठक के चौदहवें दिन, बैठक की कार्यवाही संबंधी कार्यवृत्त प्रकाशित किया। एमपीसी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा

उपभोक्ता विश्वास, परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा, कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्यनिष्पादन, ऋण की स्थिति, औद्योगिक, सेवाओं और अवसंरचना क्षेत्रों की संभावनाएं और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुमानों का आकलन करने के लिए किए गए सर्वेक्षणों की समीक्षा की। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. विनियमन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - शाखा प्राधिकरण निदेश संबंधी संशोधन निदेश के मसौदे पर जन-सामान्य से टिप्पणियां आमंत्रित की

रिज़र्व बैंक ने 28 नवंबर 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-शाखा प्राधिकरण) निदेश, 2025 (इसके बाद 'मास्टर निदेश' के रूप में संदर्भित) जारी किया था, जो अन्य बातों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की शाखाओं को खोलने और बंद करने संबंधी विनियमावली निर्धारित करता है। दिनांक 6 फरवरी 2026 को गवर्नर के वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां- शाखा प्राधिकरण) संशोधन निदेश, 2026 जारी किए हैं। परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - सार्वजनिक जमा स्वीकृति) निदेश, 2025 और भारतीय रिज़र्व बैंक (आवास वित्त कंपनियां) निदेश, 2025 के प्रासंगिक अनुच्छेदों में यथोचित संशोधन किए जाएँगे। उक्त मसौदा निदेशों पर, विनियमित संस्थाओं और अन्य पक्षकारों से, **27 फरवरी 2026 तक** टिप्पणियां/प्रतिक्रिया आमंत्रित की जाती हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार देने संबंधी संशोधन निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 फरवरी 2026 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार (संशोधन) निदेश, 2026 जारी किए, जिसमें मास्टर निदेश - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार (23 जुलाई 2025 तक अद्यतित) के कतिपय प्रावधानों को संशोधित किए गए हैं। उक्त संशोधन (i) सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए मौजूदा संपार्श्विक-रहित ऋण सीमा को ₹20 लाख तक बढ़ाने और (ii) पृथक रूप से अधिसूचित कतिपय विनियामकीय परिवर्तनों के साथ संरेखण के लिए जारी किए गए हैं, जिनका उद्देश्य, उन सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए अंतिम छोर तक ऋण आपूर्ति को सुदृढ़ करना है जिनके पास संपार्श्विक के रूप में देने के लिए सीमित आस्तियां हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

यूसीबी के लिए उधार मानदंडों की समीक्षा

6 फरवरी 2026 को जारी विकासात्मक एवं विनियामक नीतियों संबंधी वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 फरवरी 2026 को जन सामान्य अभिमत के लिए निम्नलिखित मसौदा संशोधन निदेश जारी किए हैं, जो आरबीआई के विनियामक विभाग द्वारा जारी मौजूदा निदेशों में संशोधन का प्रस्ताव रखते हैं: भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक – सकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) – संशोधन निदेश, 2026, भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक – ऋण सुविधाएँ) – संशोधन निदेश, 2026, भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक – वित्तीय विवरण: प्रस्तुति एवं प्रकटीकरण) – द्वितीय संशोधन निदेश, 2026। उपरोक्त मसौदा संशोधन निदेश में, गैर- जमानती ऋणों की परिभाषा को तर्कसंगत बनाने, ऐसे अग्रिमों के लिए व्यक्तिगत ऋण सीमाओं में वृद्धि करने तथा यूसीबी द्वारा ऐसे अग्रिमों की समग्र सीमा को कुल आस्तियों के 10% की वर्तमान सीमा से कुल अग्रिमों के 20% तक संशोधित करने, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए नाममात्र सदस्यों को उधार प्रदान करने की सीमा को भी प्रति उधारकर्ता ₹2.5 लाख तक बढ़ाने, टीयर 3 और टीयर 4 के यूसीबी के लिए आवास ऋणों की अवधि एवं अधिस्थगन आवश्यकताओं को अविनियमित करने और यूसीबी के लिए कतिपय प्रकटीकरण आवश्यकताओं को आरंभ करने का प्रस्ताव है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई ने अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) संबंधी परिपत्र के मसौदे पर जन सामान्य से टिप्पणियाँ आमंत्रित की

रिज़र्व बैंक ने 6 फरवरी 2026 को 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में की गई घोषणा के एक भाग के रूप में, परिचालनगत पहलुओं को सुव्यवस्थित करने के लिए 13 फरवरी 2026 को 'अग्रणी बैंक योजना' पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए और तदनुसार, अग्रणी बैंक योजना के संशोधित दिशानिर्देशों संबंधी परिपत्र का मसौदा जन सामान्य से टिप्पणियों के लिए जारी किया गया। संशोधित दिशानिर्देशों का लक्ष्य, अन्य के साथ-साथ योजना के उद्देश्यों; योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचों की संरचना, सदस्यता और कार्यसूची, प्रमुख पदाधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट सीमांकन और अन्य बातों के अलावा, राज्य स्तरीय बैंकर समिति और अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालयों को सुदृढ़ करने संबंधी प्रावधानों को बेहतर बनाना है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. प्रकाशन

आरबीआई बुलेटिन– फरवरी 2026

रिज़र्व बैंक ने 20 फरवरी 2026 को अपने मासिक बुलेटिन का फरवरी 2026 अंक जारी किया। इस बुलेटिन में द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (6 फरवरी 2026), एक भाषण, तीन आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। ये तीन आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. केंद्रीय बजट 2026-27: एक मूल्यांकन और III. भारत में खुदरा मुद्रास्फीति की अस्थिरता: स्रोत, निर्धारक तत्व और प्रभाव। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. जारी आंकड़े

फरवरी 2026 के महीने के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आँकड़े निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	शीर्षक
1	शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (यूसीसीएस) – जनवरी 2026
2	परिवारों का मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण (आईईएसएच) – जनवरी 2026
3	ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (आरसीसीएस) – जनवरी 2026

श्री ब्रिज राज द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।